रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 62] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 16, 1973/माघ 27, 1894
No. 62] **NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 16, 1973/MAGHA 27, 1894**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February 1973

S.O. 98(E)/IDRA/29B/73/1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby exempts, subject to the conditions, if any, hereinafter specified, the classes of industrial undertakings specified below from the operation of the provisions of—

section 10 which relates to the registration of industrial undertakings,

section 11 which relates to the licensing of new industrial undertakings,

section 11A which relates to licence for producing or manufacturing new articles, and

section 13 which relates to further provision for licensing of industrial undertakings,

of the said Act and the relevant rules made thereunder.

SMALL-SCALE UNITS

(1) Undertakings having investments in fixed assets in plant and machinery not exceeding Rs. 7.5 lakhs.

ANCILLARIES

(2) Undertakings having investments in fixed assets in plant and machinery not exceeding Rs. 10 lakhs, if such undertakings are engaged in the manufacture of parts, components and sub-assemblies, accessories, tooling or intermediates for supply to other units or for replacements.

OTHER UNDERTAKINGS

(3) Other undertakings, if the proposed investment in an undertaking in fixed assets in land, buildings, plant and machinery for establishing a new undertaking or for effecting substantial expansion or for manufacture of new articles does not exceed Rs. 1 crore, subject to the following conditions, namely:—

(a) *Investment limit applicable to one or more activities.*—the limit of Rs. 1 crore shall apply to one or more of the activities specified above, whether singly or taken together and whether in one or more stages;

(b) *Existing undertakings which are not registered etc. under the Act.*—if an undertaking is an existing undertaking not already covered by registration, licence or permission under the said Act, the proposed investment and the existing investments together do not result in the total investment exceeding Rs. 1 crore;

(c) *Existing undertaking which are registered etc. under the Act.*—if an undertaking is an existing undertaking already covered by registration, licence or permission under the said Act, the proposed investment and the existing investments together do not result in the total investment exceeding Rs. 5 crores;

(d) *Foreign exchange limits.*—the proposed investment does not require foreign exchange in excess of the following limits:—

(i) 10 per cent of such investment or Rs. 5 lakhs whichever is higher, for the import of machinery and equipment; or

(ii) 5 per cent of the ex-factory value of the annual production arising from such investment or Rs 5 lakhs, whichever is less, for the import of raw materials (other than steel and aluminium) required for such manufacture; or

(iii) 10 per cent of the ex-factory value of the annual production arising from such investment or Rs. 5 lakhs whichever is less, in any year after three years of the commencement of production for the import of parts and components for such manufacture;

(e) *Articles reserved for small-scale sector.*—No such undertaking shall be eligible for exemption for the manufacture of any of the articles specified in Schedule I (articles reserved for the small-scale sector):

Provided that no undertaking referred to in item (1), (2) or (3) above shall be eligible for exemption under this notification if it falls under any of the categories of undertakings specified in Schedule II or if the article proposed to be manufactured relates to any of the industries specified in Schedule III (being industries as specified in Schedule A of the Industrial Policy Resolution, 1956) or Schedule IV (being industries requiring special regulation).

2. This notification supersedes the notifications of the Government of India specified below:—

(1) No. S.O. 713/IDRA/29B/70/1, dated the 19th February, 1970 of the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs, (Department of Industrial Development).

(2) No. S.O. 912/IDRA/29B/70/3, dated the 28th February, 1970 of the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs, (Department of Industrial Development).

(3) No. S.O. 2443/IDRA/29B/70/5, dated the 18th July, 1970 of the Ministry of Industrial Development and Internal Trade, (Department of Industrial Development).

3. **Provisions for carrying on business.**—In pursuance of sub-section (2) of section 29B of the said Act, the Central Government hereby specifies a period of six months from the date of publication of this notification as the period after the expiry of which no owner of any industrial undertaking, which was previously exempted from the operation of sections 10, 11, 119A and 13 of the said Act and which is not so exempt by virtue of this notification, shall carry on the business of such undertaking, except under and in accordance with a licence issued in this behalf by the Central Government and in the case of State Governments except under and in accordance with the previous permission of the Central Government.

[No. F. 12(21)/Lic.Pol./73.]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

SCHEDULE I

(Articles reserved for the Small Scale Sector)

1. Absorbent Cotton.
2. Automobile Radiators (except for expansion on merits).
3. Barbed Wire.
4. Beam Scale.
5. Bichromates (except for exports).
6. Bolts and Nuts (except High Tensile and other special type).
7. Conduit Pipes—Metallic.
8. Domestic Electric Appliances and Accessories such as electric iron, roasters, heaters, washing machines etc. other than vaccum cleaners industrial washing and dry-cleaning machines etc.
9. Dyes—(i) Azo Dyes (Direct and Acids) and (ii) Basic Dyes.
10. (a) Electrical Wiring Accessories.
    (b) Electric Light fittings (such as Chokes, starters, reflectors, etc.).
11. Expanded Metal.
12. Fireworks.
13. Formulated Perfumery compounds.
14. Full P.V.C. Footwear (Chappals, Sandals and Shoes) except for export by predominantly export-oriented units.
15. Glass Hollowware by semi-automatic process.
16. Gun Metal Bushes.
17. Hand Numbering Machines.
18. Hand Stapling Machines.
19. Hurricane Lanterns.
20. Hypodermic Needles.
21. Insecticide Dusters and Sprayers (Manual).
22. Laundry Soap.
23. Leather Footwear (except for expansion of the existing units for exports and new units for exports.
24. Machine Screws (except for Socket Head and Special Type).
25. Machine Shop vices.
26. Metal Clad Switches upto 30 Amps.
27. Miniature Bulbs:
    (a) Miniature vacuum bulbs.
    (b) Torch Bulbs.
    (c) Radio Panel Bulbs.
    (d) Cycle Dynamo Bulbs and
    (e) Decoration Bulbs.
28. Paints and Varnishes—Dry Distempers, Red Lead, Red Oxide, Aluminium Paints, Bitumen Paints to IS Specification, Wagon Blocks, Graphite Paints, all Paste Paints.
29. Palm Rose Oil.
30. Paper conversion Products.

31. Pine Oil (except for composite schemes).
32. Plaster Boards.
33. Plastic Processed Products:—
    (i) Bottle caps, buttons, lamp-shade etc. produced by the compression moulding technique.
    (ii) Plastic articles manufactured from plastic sheets, rods, or tubes by the fabrication technique excluding the technique of vacuum forming.
    (iii) Polythelene films (films with a thickness of less than 0.10 mm) and products from the Film such as Bags etc, (excluding heavy duty bags and multi-coloured printed film and bags).
    (iv) Blow-moulded containers and other similar products manufactured by the blow-moulding technique (except for captive use, PVC containers and change over by existing units manufacturing Metal containers to plastic containers).
    (v) Spectacle Frames from Sheets by fabrication technique or by injection moulding.
    (vi) Manufacture of Polyster sheets for buttons and the processing of the sheets so produced to manufacture buttons.
34. Rivets of all types (including bifurcated).
35. Rolling shutters.
36. Roofing, flouring and glazed tiles (except plastic and ceramic tiles of sizes 4"×4" and above).
37. Safety Matches.
38. Steel wool.
39. Student's Microscopes.
40. Surgical Gloves (except plastic).
41. Telescopic Aerials (for Radio Receivers).
42. Thermometers.
43. Water Meters.
44. Welded Wire Mesh (except for expansion of existing units).
45. Wire products—all wire products such as Wire Nails, Hob Nails, Panel Pins, Horse Shoe Nails.
46. Wire Brushes and Fibre Brushes.
47. Wood Screws.
48. Cycle tyres and tubes.
49. Electric Horns.
50. Hydraulic jacks below 30 tonnes capacity.
51. Tooth Paste.
52. Pressure Die Castings (upto 4 K.G.).
53. Drums and Barrels (upto 50 litre capacity).
54. Tin Containers—unprinted (other than OTS) cans upto 18 litre capacity.
55. Flash Light Torch Cases (Plastic).
56. Truck Body Building (wooden structure).
57. Battery Cell tester.
58. Pressure gauges (upto 50 lbs. per sq. inch).
59. Low Tension Insulators.
60. A.A. & A.C.S.R. Conductors upto and including 19 strands).
61. Electric Transmission Line Hardware (other than those manufactured in malleable castings).
62. Grease Nipples and Grease Guns.
63. Exhaust Mufflers.
64. Zinc oxide.
65. Auto Leaf Springs.

66. Chaff Cutter Blades.
67. PVC & VIR Wires of Domestic Types.
68. Metal Fittings for garments and leather goods.
69. Weights.
70. Sodium Silicate.

Automobile Ancilliaries

71. Fuel Tank Caps.
72. Fuel Lines.
73. Wiring Harness.
74. Tail Lamp Assembly.
75. Side Lamp Assembly.
76. Stop Lamp Assembly.
77. Spot Lamp Assembly.
78. Horn Buttons.
79. Bulb Horn.
80. Seats for bus and trucks.
81. Ornamental fittings.
82. Rear View Mirrors.
83. Sun shades.
84. Sun visor.
85. Luggage Carrier.
86. Tyre inflators (both hand and foot-operated).
87. Ash Trays.
88. Hub Caps.
89. Wind Shield Wipers (Arms and Blades only).
90. Electrical fuses.
91. Electrical fuse boxes.
92. Battery cables and fittings.
93. Spokes and nipples.
94. Steering wheels.

Garage Equipments

95. Armature tester.
96. Battery Terminal Lifers.
97. Condensors and Resistance testers.
98. Fender spoons and hammers.
99. Feeler Gauges.
100. Flaring Tools.
101. Gear Flushers.
102. Puller of all types.
103. Ring Expanders.
104. Ring Compressors.
105. Screw Extractors.
106. Spark plug testers and cleaners.
107. Stud Removers (extractors).
108. Toe in Gauges.
109. Tyre valve pull out tools.
110. Tube cutters.
111. Flanging tools.

112. Valve Lifters.

113. Valve Replacing and Resetting Tools.

114. Camber Testing Equipment.

115. Domestic Utensils (other than stainless steel).

116. Steel Measuring tapes.

117. Cashew Shell Oil.

118. Room Coolers (Desert Type).

119. Cotton Measuring Tapes.

120. Rubberised Cloth.

121. Household Knitting Machines.

122. Para-Dichloro Benzene Balls.

123. Potassium Silicate.

124. Calcium Silicate.

SCHEDULE II

(Categories of undertakings not eligible for exemption)

(1) Undertakings to which Part III of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969) applies.

(2) Undertakings owned by foreign companies, their branches or subsidiaries or by companies in respect of which more than 50 per cent of the paid-up equity share capital is held directly or indirectly by foreign companies, their branches or subsidiaries, or by foreign nationals or non-resident Indians.

SCHEDULE III

(Industries specified in Schedule A of the Industrial Policy Resolution, 1956)

1. Arms and ammunition and allied items of defence equipment.
2. Atomic energy.
3. Iron and steel.
4. Heavy castings and forgings of iron and steel.
5. Heavy plant and machinery required for iron and steel production, for mining, for machine tool manufacture and for such other basic industries as may be specified by the Central Government.
6. Heavy electrical plant including large hydraulic and steam turbines.
7. Coal and lignite.
8. Mineral oils.
9. Mining of iron ore, manganese ore, chrome ore, gypsum, sulphur, gold and diamond.
10. Mining and processing copper, lead, zinc, tin molybdenum and wolfram.
11. Minerals specified in the Schedule to the Atomic Energy (Control of Production and Use) Order, 1953.
12. Aircraft.
13. Air transport.
14. Railway transport.
15. Shipbuilding.
16. Telephones and telephone cables, telegraph and wireless apparatus (excluding radio receiving sets).
17. Generation and distribution of electricity.

SCHEDULE IV

(Industries requiring special regulation)

(1) Coal falling under '(1), Coal lignite coke and their derivatives under the heading "2 Fuels";

(2) Textile, falling under the heading '23. Textiles (including those dyed, printed or otherwise processed) manufactured, produced or processed on power-looms;

(3) Milk Foods falling under '(2) Milk foods'; Malted foods falling under (3) Malted foods' and Roller flour milling falling under '(4) Flour' under the heading "27 Food processing Industries';

(4) (a) Oil seed [illegible] '(1) Vegetable oils including solvent extracted oils' and [illegible] under '(2) Vanaspathi' under the heading '28. Vegetab[illegible]';

(5) Leather falling under the heading '31. Leather, Leather Goods and Pickers'; and

(6) Matches falling under '(3) Matches' under the heading '36. Timber Products.'

[No. F. 12(21)/Lic. Pol./73.]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1973

का० आ० 98 (अ)/उ० वि० वि० अ० /29ख/73/1.—उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 29ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, नीचे विनिर्दिष्ट किए गए वर्गों के औद्योगिक उपक्रमों को, उक्त अधिनियम की —

धारा 10, जो औद्योगिक उपक्रमों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित है,

धारा 11, जो नए औद्योगिक उपक्रमों के अनुज्ञापन से संबंधित है,

धारा 11-क, जो नई वस्तुओं के उत्पादन या विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति से संबंधित है,

धारा 13, जो औद्योगिक उपक्रमों के अनुज्ञापन के लिए और उपबन्ध करने से सम्बन्धित है,

के और तद्धीन बनाए गए सुसंगत नियमों के उपबन्धों के प्रवर्तन से, उसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, एतद्द्वारा छूट देती है ।

लघु एकक

(1) ऐसे उपक्रम, जिनमें संयंत्र और मशीनरी में नियत आस्तियों में विनिधान 7.5 लाख रुपये से अनधिक हो ।

अनुषंगी

(2) ऐसे उपक्रम, जिनमें संयंत्र और मशीनरी में नियत आस्तियों में विनिधान 10 लाख रुपये से अनधिक हो, यदि ऐसे उपक्रम अन्य एककों को प्रदाय या प्रतिस्थापन के लिए पुर्जों, घटकों और उपसंयोजनों, उपसाधनों, औजारों या मध्यकों के विनिर्माण में लगे हुए हों ।

अन्य उपक्रम

(3) अन्य उपक्रम, यदि नए उपक्रम स्थापित करने के लिए या सारभूत विस्तार करने के लिए या नई वस्तुओं का विनिर्माण करने के लिए भूमि, भवनों, संयंत्र और मशीनरी में नियत आस्तियों में किसी उपक्रम में प्रस्थापित विनिधान, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, अर्थात् :—

(क) एक या अधिक क्रियाकलापों में लागू विनिधान-सीमा.—1 करोड़ रुपये की सीमा ऊपर विनिर्दिष्ट एक या अधिक क्रियाकलापों को, चाहे एकल रूप में या एक साथ मिलाकर और चाहे एक स्तर पर या एक से अधिक स्तर पर हों, लागू होगी;

(ख) विद्यमान, उपक्रम, जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत, आदि नहीं हैं .—यदि कोई उपक्रम एक ऐसा विद्यमान उपक्रम है जो पहले ही उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण, अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा के अन्तर्गत नहीं आता है, तो विद्यमान विनिधानों और प्रस्थापित विनिधान मिलाकर 1 करोड़ रुपये के कुल विनिधान से अधिक नहीं हो ;

(ग) विद्यमान उपक्रम, जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत, आदि हैं.—यदि कोई उपक्रम एक ऐसा विद्यमान उपक्रम है जो पहिले ही उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण, अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा के अन्तर्गत आता है, तो विद्यमान विनिधानों और प्रस्थापित विनिधान मिलाकर 5 करोड़ रुपये के कुल विनिधान से अधिक नहीं हो;

(घ) विदेशी-मुद्रा सीमाएं .—प्रस्थापित विनिधान के लिए निम्नलिखित सीमाओं से अधिक की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं है :—

(i) ऐसे विनिधान का 10 प्रतिशत या 5 लाख रुपये, जो भी अधिक हो, मशीनरी और उपस्कर के आयात के लिए; या

(ii) ऐसे विनिधान के उद्भूत वार्षिक उत्पादन के कारखानाद्वार पर मूल्य का 5 प्रतिशत या 5 लाख रुपये, जो भी कम हो, ऐसे विनिर्माण के लिए अपेक्षित कच्चे माल के (इस्पात और एल्यूमीनियम से भिन्न) आयात के लिए; या

(iii) ऐसे विनिधान से उद्भूत वार्षिक उत्पादन के कारखानाद्वार पर मूल्य का 10 प्रतिशत या 5 लाख रुपये, जो भी कम हो, उत्पादन आरम्भ होने के तीन वर्ष के पश्चात् किसी भी वर्ष में, ऐसे विनिर्माण के लिए पुर्जों और घटकों के आयात के लिए;

(ङ) लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुएं.—कोई भी ऐसा उपक्रम, अनुसूची 1 लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुएं) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं में से किसी भी वस्तु के विनिर्माण के लिए छूट का पात्र नहीं होगा :

परन्तु उपर्युक्त मद (1), (2) या (3) में निर्दिष्ट कोई भी उपक्रम इस अधिसूचना के अधीन छूट का पात्र नहीं होगा, यदि वह अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट उपक्रमों के किसी भी प्रवर्ग के अन्तर्गत आता हो या यदि विनिर्मित

की जाने के लिए प्रस्थापित वस्तु अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से (जो औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 की अनुसूची क में यथा विनिर्दिष्ट उद्योग हों), या अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से (जो विशेष विनियम की अपेक्षा करने वाले उद्योग हों), सम्बन्धित है ।

2. यह अधिसूचना भारत की निम्नलिखित विनिर्दिष्ट अधिसूचनाओं को अधिक्रान्त करती है :—

(1) औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार और कम्पनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 713, उ० वि० वि० अ०/29ख/70/1, तारीख 19 फरवरी, 1970 ।

(2) औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार और कम्पनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 912, उ० वि० वि० अ०/29ख/70/3, तारीख 28 फरवरी, 1970 ।

(3) औद्योगिक विकास और आंतरिक व्यापार मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 2443/उ० वि० वि० अ०/29ख/70/5, तारीख 18 जुलाई, 1970 ।

3. कारबार चलाने के लिए उपबन्ध .—उक्त अधिनियम की धारा 29ख की उपधारा (2) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि को उस अवधि के रूप में एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है जिसकी समाप्ति के पश्चात् किसी ऐसे औद्योगिक उपक्रम का, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 10, 11, 11क और 13 के प्रवर्तन से पहले छूट प्राप्त थी और जिसे इस अधिसूचना के आधार पर छूट नहीं दी गई है, कोई स्वामी, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त जारी की गई किसी अनुज्ञप्ति के अधीन और उस के अनुसार के सिवाय, और राज्य सरकार की दशा में, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के अधीन और उसके अनुसार के सिवाय ऐसे उपक्रम का कारबार नहीं चलाएगा ।

अनुसूची I

(लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुएं)

1. अवशोषक रुई ।
2. मोटरगाड़ी रेडियेटर (गुणों के आधार पर प्रसार के लिए के सिवाय) ।
3. कटीला तार ।
4. दंड तुला ।
5. बाइक्रोमेट (निर्यात के लिए के सिवाय) ।
6. बोल्ट और नट (उच्च तनन और अन्य विशेष प्रकार के सिवाय) ।
7. कंड्यूट पाइप—धात्विक ।
8. निर्वात क्लीनर, औद्योगिक धुलाई और ड्राई क्लीनिंग मशीनों आदि से भिन्न घरेलू विद्युत साधित्र और उपसाधन जैसे कि विद्युत इस्तरी, टोस्टर, हीटर, धुलाई मशीन आदि ।
9. रंजक (1) एजो रंजक (डायरेक्ट्स और अम्ल) तथा (2) आधारिक रंजक ।
10. (क) विद्युत वायरिंग उपसाधन ।

    (ख) विद्युत प्रकाश फिटिंग (जैसे कि चोक, स्टार्टर, परावर्तक आदि) ।

11. प्रसरित धातु ।

12. आतिशबाजी ।

13. निरूपित सुगन्धित सामग्री यौगिक ।

14. पूर्ण पी० वी० सी० जूते (चप्पल, सैण्डल और जूते), प्रधानतः निर्यात आधारित एककों द्वारा निर्यात के लिए बनाये जाने वालों के सिवाय ।

15. अर्धस्वचालित प्रक्रिया द्वारा बनी शीशे की खोखली वस्तुएं ।

16. गनमेटल चूर्ण ।

17. हाथ से नम्बर लगाने वाली मशीनें ।

18. हाथ की स्टैपलिंग मशीनें ।

19. हरीकेन लालटेन ।

20. अघस्त्वक सूइयां ।

21. कीटनाशी प्रकीर्णक और छिड़कने के यंत्र (दस्ती) ।

22. लाण्ड्री साबुन ।

23. चमड़े के जूते (निर्यात के लिए विद्यमान एककों के तथा निर्यात के लिए नये एककों के विस्तार के लिए के सिवाय) ।

24. मशीन के पेच (मार्केट हैड और विशेष प्रकारों के लिए के सिवाय) ।

25. मशीन शाप शिकंजे ।

26. 30 एम्पीयर तक की धातु मढ़ी स्विच ।

27. लघु बल्ब—

(क) लघु निर्वात बल्ब,

(ख) टार्च बल्ब,

(ग) रेडियो पैनल बल्ब,

(घ) साइकल डायनमो बल्ब, और

(ङ) सजावटी बल्ब ।

28. पेन्ट और वार्निश—"सूखे डिसटेंम्पर, रैड लैड, रैड आक्साइड, एलुमिनियम पेन्ट, बिटुमेन पेन्ट, भारतीय मानक विनिर्देश के अनुसार, बैगन ब्लांक, ग्रेफाइट पेन्ट, सभी पस्ट पेन्ट ।

29 पाम रोज तेल कागज संपरिवर्तित उत्पाद ।

30. कागज संपरिवर्तित उत्पाद ।

31. चीड़ का तेल (समष्टिक स्कीमों के लिए के सिवाय) ।

32. प्लास्टर बोर्ड ।

33. प्लास्टिक संसाधित उत्पाद :—

(1) बोतलों के ढक्कन, बटन, लेम्प शेड आदि जिनका संपीडन ढलाई तकनीक द्वारा उत्पादन किया जाता है,

(2) प्लास्टिक चादरों, छड़ों या ट्यूबों से रचना तकनीक, जिसमें निर्वात करने की तकनीक सम्मिलित नहीं है, के द्वारा विनिर्मित प्लास्टिक की चीजें,

(3) पोलिथीन फिल्में (वे फिल्में जिनकी मोटाई 0.10 मिलीमीटर से अन्यून हो) और फिल्म से बने उत्पाद उदाहरणार्थ थैले आदि (इसमें हैवी ड्यूटी बैग और बहुरंगी छपी हुई फिल्म और थैले सम्मिलित नहीं है),

(4) फूंक ढलाई तकनीक द्वारा विनिर्मित फूंक ढालित आधान और अन्य समरूप उत्पाद (कैप्टिव उपयोग के सिवाय, पी० वी० सी० आधान और विद्यमान धातु आधान विनिर्माण एककों से प्लास्टिक आधान विनिर्माण एककों में परिवर्तन) ।

(5) रचना तकनीक द्वारा या अन्तः क्षेपण ढलाई द्वारा चादरों से चश्मों के फ्रेम.

(6) बटनों के लिए पोलिएस्टर चादरों का विनिर्माण और बटनों के विनिर्माण के लिए इस प्रकार उत्पादित चादरों का संसाधन ।

34. सब प्रकार के रिवेट (इसमें द्विशिरा रिवेट सम्मिलित है) ।

35. रोलिंग शटर ।

36. छत की, फर्श की, और चमकदार टाइल्स (4" × 4" और अधिक के आकार की प्लास्टिक और सिरेमिक टाइल्स के सिवाय) ।

37. दियासलाइया ।

38. स्टील बुल ।

39. विद्यार्थियों के सूक्ष्मदर्शी ।

40. सर्जिकल दस्ताने (शल्य चिकित्सा दस्ताने) (प्लास्टिक के सिवाय) ।

41. टलेस्कोपिक एरियल (रेडियो रिसीवर के लिए) ।

42. थर्मामीटर ।

43. पानी के मीटर ।

44. वैल्ड की गई तार की जाली (विद्यमान एककों के विस्तार के लिए के सिवाय) ।

45. तार–उत्पादन–तार के सब उत्पाद उदाहरणार्थ तार की कीलें, हाब कीलें, पेनल पिन, घोड़े की नाल की कीलें ।

46. तार के ब्रुश और फाइबर-ब्रुश ।

47. काठ के पेच ।

48. साईकल के टायर और ट्यूब ।

49. यांत्रिक खिलौने ।

50. 30 टन क्षमता के कम के द्रव चालित जैक और

51. टूथ पेस्ट ।

52. दाब डाई ढलाई (4 कि० ग्रा० तक) ।

53. ड्रम और पीपे (50 लिटर तक की धारिता वाले) ।

54. टिन आधान–अमुद्रित (सी टी एस कुप्पी से भिन्न) 18 लिटर तक की धारिता वाले ।

55. क्षणदीप टार्च केस (प्लैस्टिक) ।

56. ट्रक बाडी निर्माण (काष्ठ संरचना)

57. बैटरी सेल परीक्षित्र

58. दाब-मेज (प्रति वर्ग इंच 50 पौंड तक)

59. निम्न विभव रोधियां

60. ए० ए० और ए० सी० एल० आर० चालकें (19 बल स्ट्रैण्ड तक तथा उनको मिलाकर)।

61. विद्युत संचरण-लाइन के लोहे के साभार [धातुवध्य (मैलिएबल) ढली वस्तुओं के रूप निर्मित वस्तुओं के अतिरिक्त]

62. ग्रीज निप्ल और ग्रीजगन

63. निर्वातक मफलर

64. जस्त आक्साइड

65. आटो पत्ती स्प्रिंग

66. कुट्टी-मशीन फल

67. घरेलू प्रकार के पी वी सी और वी आई आर तारें।

68. परिधान और चमड़े के भालों के लिए धातु की फिटिं।

69. बांटें

70. सोडियम-सिलिकेट

मोटरगाड़ी अनुषंगियां :—

71. ईंधन टंकी-कैप

72. ईंधन लाइनें

73. वायरिंग हारनेस

74. टेल लैम्प असेम्बली

75. साइड लैम्प असेम्बली

76. स्टांप लैम्प असेम्बली

77. स्टांप लैम्प असेम्बली

78. हार्न बटनें।

79. बल्ब हार्न।

80. बस और ट्रकों के लिए सीटें

81. सजावटी फिटिंगें

82. रीयर व्यू आइने

83. सन शेड्स।

84. सन वाइजर

85. लगेज केरियर

86. टायर इनफ्लेटस (पम्प) (हाथ और पैर प्रचालित, दोनों)]

87. राखदान

88. हब कैपें

89. विन्ड शील्ड वाइपर्स (केवल आर्म्स और ब्लेड)

90. वैद्युत फ्यूज

91. वैद्युत फ्यूज बक्से

92. बैटरी केबिल और फिटिंगें

93. स्पीक और निप्लें

94. स्टियरिंग व्हील

गराज उपस्कर

95. आमेचर परीक्षित्र

96. बैटरी टर्मिनल लिफ्टर

97. कंडन्सर और रेसिस्टेन्स परीक्षित्र

98. फेन्डर स्पून और हथौड़े

99. फीलर गेजें

100. फ्लैरिंग औजार

101. गिअर फ्लशर्स

102. [सभी प्रकार के पुलर

103. [रिंग एक्सपेन्डर्स

104. [रिंग कम्प्रेशर्स

105. [विंच कर्षक

106. चिनगारी प्लग परीक्षित्र और क्लीनर

107. [स्टड रिमूव्हर (कर्षक)

108. [गेज इन टो

109. टायर वाल्व निकालने के औजार

110. ट्यूब कर्तकें

111. कोर-अवकाश औजार

112. वाल्व लिफ्टर्स

113. वाल्व रिप्लेसिंग (बदलने वाले) और रिसेटिंग औजार

114. उभार परीक्षण उपस्कर

115. घरेलू बर्तन (जंगरोधी इस्पात से भिन्न)

116. इस्पात माप फीता

117. [काजू के छिलके का तेल

118. कक्ष शीतक [मरु (डेजर्ट) प्रकार का]

119. कपास माप फीता
120. रबराइज्ड कपड़ा
121. घरेलू धुलाई मशीन
122. पैरा-डाइक्लोरो बैन्जीन बाल
123. पौटेशियम सिलिकेट
124. कैल्शियम सिलिकेट

अनुसूची II

(उपक्रमों के प्रवर्ग जो छूट के पात्र नहीं हैं)

(1) ऐसे उपक्रम, जिन्हें एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) का भाग III लागू होता है।

(2) विदेशी कम्पनियों, उनकी शाखाओं या समनुषंगियों या ऐसी कम्पनियों, जिनका बाबत समादत्त साधारण शेयर पूंजी के 50 प्रतिशत से अधिक विदेशी कम्पनियों द्वारा, उनकी शाखाओं या समनुषंगियों या विदेशी राष्ट्रिकों या अनिवासी भारतियों द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः धारित है, के स्वामित्व वाले उपक्रम।

अनुसूची III

(औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 की अनुसूची क में विनिर्दिष्ट उद्योग)

1. आयुध और गोला-बारूद और रक्षा उपस्कार की सहबद्ध मदें।
2. परमाणु शक्ति।
3. लोहा और इस्पात।
4. लोहा और इस्पात की भारी ढलाई और गढ़ाई।
5. लोहा और इस्पात के उत्पादन, खनन, मशीनी औजार विनिर्माण और ऐसे अन्य आधारिक उद्योगों जैसे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, के लिए अपेक्षित भारी संयंत्र और मशीनरी।
6. भारी विद्युत संयंत्र जिनमें बड़ी द्रवचालित और भाप टरबाइन सम्मिलित हैं।
7. कोयला और लिग्नाइट।
8. खनिज तेल।
9. लोह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, जिप्सम, गन्धक, स्वर्ण और हीरे का खनन।
10. तांबे, सीसे, जस्त, टिन, मोलिब्डिनम और वुलफ्रेम का खनन और संसाधन।
11. परमाणु शक्ति (उत्पादन का नियंत्रण और उपयोग) आदेश, 1953 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिज।
12. वायुयान।
13. वायु परिवहन।
14. रेलवे परिवहन।

15. पोत निर्माण ।

16. टेलीफोन और टेलीफोन केबल, टेलीग्राफ और बेतार उपकरण (जिसमें रेडियो ग्राही समुच्चय सम्मिलित नहीं है) ।

17. विद्युत का जनन और वितरण ।

अनुसूची IV

(विशेष विनियम की अपेक्षा करने वाले उद्योग)

(1) "2 ईंधन" शीर्षक के नीचे "(1) कोयला लिगनाईट, कोक और उनकी व्युत्पत्तियां" के अन्तर्गत आने वाला कोयला;

(2) "23-शक्तिचालित करघों पर विनिर्मित, उत्पादित या प्रसंस्कृत वस्त्र (जिसके अन्तर्गत रंगे हुए, छपे हुए या अन्यथा प्रसंस्कृत वस्त्र हैं) शीर्षक के अन्तर्गत आने वाले वस्त्र;

(3) "27 खाद्य सम्पकरण उद्योग" शीर्षक के नीचे (2) दुग्ध खाद्य पदार्थ के अन्तर्गत आने वाला दुग्ध खाद्य पदार्थ; (3) माल्ट मिश्रित खाद्य पदार्थ के अन्तर्गत आने वाला माल्ट मिश्रित खाद्य पदार्थ और (4) आटा' के अन्तर्गत आने वाला रोलर फ्लोर मिलिंग ।

(4) (क) (1) वनस्पति तेल, जिनके अन्तर्गत विलायक निकाले हुए तेल हैं के अन्तर्गत आने वाला तिलहन का पेरना; और

(ख) "28 वनस्पति तेल और वनस्पति" शीर्षक के नीचे "(2) वनस्पति" के अन्तर्गत आने वाली वनस्पति;

(5) "31 चमड़ा, चमड़े का सामान और पिकर" शीर्षक के अन्तर्गत आने वाला चमड़ा; तथा

(6) "36 काष्ठ उत्पाद" शीर्षक के नीचे "(3) दियासलाइयां" के अन्तर्गत आने वाली दियासलाइयां ।

[सं० फा० 12(21)/अनु० नीति०/73]

एम० के० सहगल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973